UPBP010010852024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, (कक्ष संख्या–6), बलरामपुर
आपराधिक प्रकीर्ण वाद (कम्प्यूटर) संख्या-98/2024
आपराधिक प्रकीर्ण वाद (रजिस्टर) संख्या-25/2024
मंशाराम बनाम उ०प्र०राज्य आदि

दिनांक 15.06.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी संख्या1 की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (ई०सी०एक्ट)। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र 5ख पर सुना गया।

प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से प्रश्नगत निगरानी को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र 5ख अंतर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी ने उक्त वाद की जानकारी निगरानीकर्ता को नहीं थी न ही उसे समन या नोटिस न्यायालय से प्राप्त हुआ, उसे अफवाहन उक्त आदेश के बारे में पता चला जिस कारण वह निगरानी समय से प्रस्तुत नहीं कर सका। उसने जानबूझकर निगरानी प्रस्ततु करने में विलम्ब नहीं किया है बल्कि जो भी विलम्ब हुआ है वह अनजाने में हुआ है। न्यायहित में प्रार्थी को धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का छूट प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रस्तुत निगरानी योजित करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने की याचना की गयी है।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र पर विपक्षी संख्या –1 उ०प्र०राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा मौखिक रूप से आपत्ति की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी /निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान सिविल जज (सी०डि०)/ए०सी०जे०एम०, बलरामपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 06.02.2024 से क्षुब्ध होकर प्रार्थी/ निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी योजित की गयी। निगरानी मियाद अवधि के बाहर थी। प्रश्नगत निगरानी मियाद अवधि के बाहर होने के कारण प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी को योजित करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र 5ख अंतर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया है जिसमें याचना की गयी कि उसे उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी न ही उसे न्यायालय से समन या नोटिस प्राप्त हुई, उसे उक्त आदेश की जानकारी अफवाहान पता चला। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा हुई देरी जानबूझकर नहीं की गयी है। अतः न्यायहित में प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 5ख स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/निगरानीकर्ता मंशाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 5ख स्वीकार किया जाता है। तदनुसार प्रश्नगत निगरानी को संस्थित करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाता है। पत्रावली निगरानी के अंगीकरण के बिंदु पर सुनवाई हेतु दिनांक **14.07.2026** को विद्वान सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर के समक्ष प्रस्तुत हो।

(प्रदीप कुमार–।।।)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–6, बलरामपुर।

Digitally signed by Pradeep Kumar
Date: 2026.06.15 14:35:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court